वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा
प्रबंध मंडल की 110 वीं बैठक
08 अगस्त, 2024
कार्यवाही विवरण

प्रबंध मण्डल की 110वीं बैठक दिनांक 08 अगस्त, 2024 को मध्यान्ह 12.30 बजे विश्वविद्यालय के जयपुर स्थित क्षेत्रीय केन्द्र पर आयोजित की गई । बैठक की अध्यक्षता माननीय कुलपति डॉ0 कैलाश सोडाणी द्वारा की गई। सर्वप्रथम प्रबंध मंडल के सदस्यों द्वारा निर्वतमान सदस्य प्रो0 मनरूप सिंह मीणा का उनके द्वारा किए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त करने के उपरांत बैठक विधिवत प्रारंभ की गई, बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :–

1. प्रो0 जे0पी0 शर्मा
   पूर्व कुलपति सुखाडिया वि0वि0,उदयपुर — सदस्य
2. प्रो0 कौशल किशोर मिश्रा
   आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान
   बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय,वारणसी। — सदस्य
3. प्रो0 बी0 अरूण कुमार
   आचार्य, राजनीति विज्ञान, वमखुविवि,कोटा। — सदस्य
4. डॉ0 उर्मिला राजौरिया,
   संभागीय आयुक्त, कोटा
   (प्रतिनिधी वित्त विभाग) — सदस्य
5. डॉ0 अनुज सक्सेना
   संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा(ग्रुप–4) विभाग
   (प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव, उ.शिक्षा विभाग राज0सरकार) — सदस्य
6. डॉ0 श्रीमती रश्मि बोहरा
   निदेशक, क्षे.के.,उदयपुर। — सदस्य
7. डॉ0 अनुरोध गोधा
   निदेशक
   क्षेत्रीय सेवाऐं, वमखुविवि,कोटा। — सदस्य
8. श्री महेश चंद मीना
   कुलसचिव एवं नियंत्रक (वित्त)
   व0म0खु0वि0वि,कोटा। — सचिव
   (ऑन लाईन उपस्थित)

आवश्यक गणापूर्ति की सुनिश्चितता होने के बाद आसन की अनुमति से कुलसचिव द्वारा कार्यसूची विवरण में उल्लेखित बिंदु सदन के समक्ष चर्चा हेतु प्रस्तुत किए गए, जिन पर सदन में विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय किए गए:–

110/01 प्रबंध मंडल की 109वीं बैठक 06 मार्च, 2024 के कार्यवाही विवरण एवं की गई अनुपालना की पुष्टि का प्रस्ताव।

प्रबंध मंडल की 109वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करते हुए की गई अनुपलाना पर संतोष व्यक्त किया गया। वित्त विभाग के प्रतिनिधी संभागीय आयुक्त, कोटा द्वारा अनुपालना रिपोर्ट में पूर्व बैठक के निर्णय संख्या 109/06 के संबंध में फर्म के चयन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी चाही गई। जिसके क्रम में माननीय कुलपति महोदय द्वारा बताया गया कि उक्त प्रकरण में राज्य सरकार के स्तर से जांच उपरान्त भुगतान करने के निर्देश बाद ही भुगतान किया गया है तथा आगामी समय के लिए आंतरिक गृहकार्य के ऑनलाईन मूल्यांकन व्यवस्था लागू करने के लिए RTPP Rules 2013 के नियम 32 के तहत राज्य सरकार की एजेंसी राजस्थान नॉलेज कार्पोरेशन (RKCL) के माध्यम से कार्य करवाने हेतु राज्य सरकार से स्वीकृति मांगी गई है।

110/02 विद्या परिषद की दिनांक 06 अगस्त, 2024 को आयोजित 70वीं बैठक के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव।

विद्या परिषद की 70वीं बैठक के कार्यवाही विवरण को बिंदुवार चर्चा उपरांत अनुमोदित किया गया।

विद्या परिषद के निर्णय संख्या 70/06 पर विचार विमर्श के दौरान प्रो0 जे0पी0 शर्मा का सुझाव था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लागू किए जाने वाले शैक्षणिक नियम /अधिनियम विश्वविद्यालयों पर स्वतः लागू होते है इसलिए इन्हें लागू करने के लिए बार–बार प्रस्ताव लाने के स्थान पर इन्हें विश्वविद्यालय में स्वतः ही लागू माना जाना चाहिए, सदन द्वारा उक्त सुझाव पर सहमति व्यक्त की गई।

110/03 वित्त समिति की दिनांक 07 अगस्त,2024 को आयोजित 68वीं बैठक के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव।

वित्त समिति की 68वीं बैठक के कार्यवाही विवरण को बिंदुवार चर्चा उपरांत अनुमोदित किया गया।

वित्त समिति के बिंदु संख्या 68/06 एवं 68/07 के क्रम में निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित फीस वृद्धि प्रवेश शुल्क मद में की जावे।

110/04 विश्वविद्यालय में अशैक्षणिक अधिकारियों की पदौन्नति तथा अतिरिक्त कुलसचिव का पद सृजित करने का प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय में अशैक्षणिक अधिकारियों की पदौन्नति के लिये समिति द्वारा अभिशंषित प्रावधानों को अनुमोदित किया गया। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में पदोन्नति हेतु प्रस्तावित अनुभव अवधि एवं वेतनमान राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर के भर्ती एवं पदौन्नति नियमों के अनुरूप है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के नियम राज्य सरकार से अनुमोदित है, अतः अशैक्षणिक अधिकारियों की पदोन्नति हेतु समिति द्वारा प्रस्तुत अभिशंषा को विश्वविद्यलाय में लागू किए जाने तथा अतिरिक्त कुलसचिव का पद सृजित किए जाने (उप कुलसचिव के एक पद को क्रमोन्नत करवाते हुए) का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही भर्ती एवं पदौन्नति में रोस्टर नियमों की पालना किए जाने का निर्णय किया गया।

110/05 निदेशक, क्षे0के0 को सी0ए0एस0 के तहत पदौन्नति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट अवलोकन एवं निर्णयार्थ।

निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्रों को पदोन्नति के सम्बन्ध में प्रक्रिया निर्धारण हेतु गठित समिति की पुनः समीक्षित अनुशंसाओं को प्रबंध मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। सदन को यह भी जानकारी प्रदान की गई कि राज्य सरकार को प्रेषित पत्र संख्या 189 दिनांक 18.05.2023 में विश्वविद्यालय के शिक्षकों की सी0ए0एस0 के अर्न्तगत पदोन्नति के साथ–साथ निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्रों की सी0ए0एस0 के अन्तर्गत पदौन्नति लागू किए जाने पर संभावित वित्तीय व्यय के बारे में अवगत करवाकर स्वीकृति चाही गई थी, जिसके क्रम में राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.8(2)शि–4/2021 दिनांक 24.07.2023 के द्वारा वित्तीय व्यय की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। अतः प्रबंध मंडल द्वारा निर्णय किया गया कि निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्रों को सी0ए0एस0 के तहत पदौन्नत करने की कार्यवाही की जाए। साथ ही यदि आवश्यक हो तो पदोन्नति हेतु निर्धारित मानदण्डों में शिथिलता प्रदान करने के लिए माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

110/06 श्री चन्द्र प्रकाश सुमन सेवानिवृत्त चुतर्थ श्रेणी कर्मचारी की निलम्बन अवधि की अनुपस्थिति अवधि के नियमतीकरण हेतु प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

श्री चन्द्र प्रकाश सुमन के प्रकरण के सम्बन्ध में सदन को तथ्यात्मक जानकारी प्रदान की गई। विचार–विमर्श के उपरांत निर्णय किया कि कार्मिक अल्प वेतनभोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है जो दो वर्ष से अधिक समय तक निलंबित रहा है तथा उसके द्वारा विश्वविद्यालय आर्डिनेंस में विहित आचरण संहिता के उल्लंघन के लिये एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोककर दंडित भी किया जा चुका है । अतः तत्कालीन कुलपति द्वारा प्रकरण में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुये निलंबनकाल में अनुपस्थित रहने की अवधि के लिये कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई तथा उक्त स्वीकृति के अनुसरण में आदेश क्रमांक 1655 दिनांक 28.06.2022 के द्वारा निलंबनकाल में अनुपस्थित रहने की अवधि को नियमित किया गया।

राजभवन व राज्य सरकार से विश्वविद्यालय स्तर पर ही नियमानुसार कार्यवाही करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। इस प्रकरण में नियमानुसार अभिशंषा हेतु कार्यालय आदेश क्रमांक 2265 दिनांक 16.01.2020 द्वारा गठित समिति द्वारा भी प्रकरण निस्तारण करने हेतु मुख्यालय छोड़ने की सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति एवं अवकाश स्वीकृत किये जा सकने का अंकन किया गया है।
अतः विचार विमर्श उपरांत निलंबन काल की अनुपस्थित अवधि के नियमितिकरण बाबत् जारी आदेश संख्या 1655 दिनांक 28.06.22 के अनुसार सेवान्त परिलाभ / वित्तीय लाभ दिये जाने का निर्णय किया गया।

110 / 07 विश्वविद्यालय में कुलसचिव, उप कुलसचिव, सहायक कुलसचिव आदि के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार वेतनमान दिए जाने बाबत्।

विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक अधिकारी यथा कुलसचिव, उप कुलसचिव, सहायक कुलसचिव आदि को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित वेतनमान दिए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के स्तर से इस सम्बन्ध में निर्णय होने के बाद इन्हें विश्वविद्यालय में लागू किए जाने बाबत् सैद्वान्तिक सहमति प्रदान की गई।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव
एवं सचिव, प्रबंध मंडल